

ग्राम पंचायत ढाबण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ढाबण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री गुलजारी लाल	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्रीमती रीता देवी	23.1.2016 से अद्यतन

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चन्द	1.4.2014 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत ढाबण के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवम निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तःशेष में भारी अन्तर	5.12
2	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.15
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	29.83

5	7	बिना औपचारिकताओं के स्टोर का क्रय	0.43
6	8	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	—
7	10	सीमेन्ट का दुर्विनियोजन	0.01
8	11	पंचायत निधि से अनियमित व्यय	1.02

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत ढाबण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवम वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 5.6.2017 से 13.6.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवम् व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया:—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	03 / 2015	01 / 2015
2015—16	12 / 2015	04 / 2015
2016—17	09 / 2016	07 / 2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत ढाबण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 02 दिनांक 13.6.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 162170 दिनांक 17.7.2017 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत ढाबण, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्रोत:- ग्राम पंचायत ढाबण के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	43548.45	81265	124813.45	22872	101941.45
2015-16	101941.45	146505	248446.45	24694	223752.45
2016-17	223752.45	96646	320398.45	42100	278298.45

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत ढाबण के अवधि 04/2014 से 3/2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	1070818.06	745088.14	1815906.20	927370.36	888535.84
2015-16	888535.84	1221688	2110223.84	782721	1327502.84
2016-17	1327502.84	3603482.27	4930985.11	1947691	2983294.11

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹5.12 लाख का भारी अन्तर

स्व: स्रोत

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष 278298.45

अनुदान:-

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष 2983294.11

दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत राशि 1000.00

कुल योग 3262592.56

दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों का शेष (संलग्न परिशिष्ट II)

(i)	खाता संख्या 31910117337 (HPSCB)	30046.00
(ii)	खाता संख्या 31910107080 (HPSCB-Nerchowk)	3118025.82
(iii)	खाता संख्या 31910107998 (HPSCB-Nerchowk)	626200.60
	कुल योग	3774272.42
	अन्तर	511679.86

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा समय पर विभिन्न रोकड़ बहियों के अन्त शेष का, बैंक खातों के शेष से मिलान न करने के कारण, रोकड़ बहियों के अन्तशेष तथा विभिन्न बैंक खातों के अन्तशेष में ₹511679.86 का अन्तर है, जिसका मिलान करने के लिए अंकेक्षण

अध्याचना संख्या 01, दिनांक 7.6.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया। अतः अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:—

ग्राम पंचायत ढाबण की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट—III** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹15390 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹29.83 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट—1**) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹2983294.11 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.43 लाख स्टॉक का क्रय:—

चयनित मासों के व्यय से सम्बन्धित वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित मामलों में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67(5) और नियम 69 द्वारा स्टोर/स्टॉक का क्रय करने की

औपचारिकताएं अर्थात् निविदाएं आमन्त्रित करना आदि वर्णित है, परन्तु चयनित मासों के व्यय के सम्बन्धित वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित मामलों में सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना किया गया जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः नियमानुसार क्रय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को, सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक का क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

क्र०सं०	वा०सं०	विवरण	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	85 माह 1 / 15 (सामान्य रोकड़ बही)	बिल संख्या 8386, दिनांक 28.1.15 द्वारा मै0 अमर ट्रेडर्स से खेल सामग्री का क्रय	38343	भाव दरें न लेना
2	22 माह, 07 / 2016 (सामान्य)	बिल संख्या 1399 दिनांक 6.7.16 द्वारा श्री मै0 सन स्टार ग्राफिक्स से स्टेशनरी	5070	—यथोपरि—
		कुल योग	43413	

8 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय किये गये सामान के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करके, जारी करने व भण्डारण करने की औपचारिकताओं का प्रावधान है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न वर्णित मामलों में ₹43413 की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई जोकि आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक रजिस्टर में सामान की खरीद की प्रविष्टि न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये।

क्र०सं०	वा०सं०	विवरण	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	85 माह 1 / 15 (सामान्य रोकड़ बही)	बिल संख्या 8386, दिनांक 28.1.15 द्वारा खेल सामग्री का क्रय	38343	स्टॉक प्रविष्टि न करना तथा सामान की खपत निर्गमन न दिखाना।
2	22 माह, 07 / 2016 (सामान्य)	बिल संख्या 1399 दिनांक 6.7.16 द्वारा लेखन सामग्री का क्रय	5070	—यथोपरि—
		कुल योग	43413	

9 भुगतानों के समर्थन में पावती प्रस्तुत न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 के अनुसार किसी भी किये गए भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से पावती प्राप्त करके तत्सम्बन्धित वाउचर के साथ संलग्न करना अपेक्षित है परन्तु वाउचर संख्या 05 माह 04/2015 (सामान्य) द्वारा श्री गुलशन मुहम्मद को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत देय प्रथम किश्त ₹37500 (भूमि विवाद के कारण) का भुगतान न करके खण्ड विकास अधिकारी को चैक संख्या 259528 दिनांक 7.4.15 द्वारा लौटाई गई, परन्तु इस भुगतान या वापसी के समर्थन में पावती प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे प्राप्त करके वाउचर के साथ संलग्न किया जाये तथा भविष्य में सभी भुगतान के सम्बन्धित पावतियाँ प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाये।

10 सीमेन्ट लागत ₹1030 का दुर्विनियोजन:—

माह 01/2015 वाउचर संख्या 25 (मनरेगा) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से बिल संख्या 1862774 दिनांक 9.1.2015 द्वारा 58 बैग सीमेन्ट 206 प्रति बैग की दर से क्रय करके स्टॉक प्रविष्टि 05/43 द्वारा वार्ड संख्या 5 में श्री तारा चन्द की जमीन पर वाटर टैंक का निर्माण करने हेतु जारी किया गया, परन्तु माप पुस्तिका 12551 के पृष्ठ संख्या 87 पर उक्त कार्य से सम्बन्धित सीमेन्ट की खपत कुल 53 बैग ही पाई गई तथा शेष 05 बैग सीमेन्ट की वापसी की कोई प्रविष्टि या किसी अन्य कार्य में खपत नहीं दर्शाई गई। अतः इन 05 बैग सीमेन्ट की ₹206 प्रति बैग की दर से ₹1030 की वसूली सम्बन्धित से करके, पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 पंचायत निधि से ₹1.02 लाख का अनियमित व्यय:—

जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गए परन्तु भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख, आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख प्रस्तुत न करना पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47 (1) (2) की स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹102464 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा कराई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	निधि का नाम	वा०सं०/माह	राशि	कार्य का नाम
1	सामान्य (शीर्ष GRDCA)	82 माह 01/15	10300	C/O Link Road हरिजन बस्ती ढाबण
2	—यथोपरि—	07 माह 4/15	23930	—यथोपरि—
3	—यथोपरि—	08 माह 4/15	27534	—यथोपरि—
4	—यथोपरि—	9 माह 4/15	28700	—यथोपरि—
5	—यथोपरि—	10 माह 4/15	12000	—यथोपरि—
		कुल योग	102464	

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवम आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्ट्रों का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

- (1) अनुदान रजिस्टर
- (2) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर
- (3) गृह कर मांग व संग्रह रजिस्टर
- (4) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करते हुए भविष्य में सभी भण्डारों का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाये।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका:**— इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी-2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 **निष्कर्ष:**— ग्राम पंचायत ढाबण के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 24/2017-खण्ड-1-6993-6996 दिनांक 30.11. 2017 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत ढाबण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620046